POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! पिछले कुछ सालों से देश में ऑनलाइन कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है। इंटरनेट और अन्य आधुनिक तकनीक के उपयोग से ऑनलाइन खरीददारी युवाओं की खास पसंद बनती जा रही है। माना जा रहा है कि भारत में 2020 तक करीब सौ अरब डॉलर का कारोबार ऑनलाइन होने लगेगा।

सस्ते स्मार्टफोन और कम दाम में अधिक डाटा और इंटरनेट की पहुंच से ई-कॉमर्स काफी आसान हो गया है। हमारी सरकार भी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें उपभोक्ताओं को जितनी सहूलियत दिखाई दे रही है उतना ही उनके लिए जोखिम भी है।

हाल ही 'कट्स' द्वारा जयपुर के शिक्षित युवा वर्ग में कराए गए एक सर्वेक्षण में करीब 70 फीसदी ने जहां ऑनलाइन खरीददारी को सुरक्षित माना वहीं 56 फीसदी लोगों को खरीददारी के बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

खरीददारी करने वालों में 86 फीसदी उपभोक्ता सचेत और जागरूक हैं। क्योंकि, वे खरीददारी से पूर्व पूरी जानकारी करते हैं, जबकि 48 फीसदी लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी और लेन-देन संबंधित विफलताओं का सामना करना पड़ा।

करीब 66 फीसदी उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण प्रणाली का ज्ञान है और उनमें से 49 फीसदी ने शिकायत दर्ज भी कराई।

मेरा मानना है कि ऑनलाइन खरीद और साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। साथ ही समस्याओं के निदान के लिए ऑनलाइन खरीददारी पर एक नियामक संस्था का गठन आवश्यक है।

बच्ची से दुष्कर्म तो मिलेगी मौत की सजा

प्रदेश में अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार करने वालों को अब मौत की सजा दी जा सकेगी। राज्य विधानसभा में मृत्युदंड देने के प्रावधान वाला दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 ध्वनिमत से पारित हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून राज्य में लागू होगा। मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने यह कानून पास किया है।

बारह साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वालों के लिए यह कड़ा कानून लाया गया है। कानूनन ऐसे अपराधियों को कम से कम चौदह साल का कठौर कारावास, जो आजीवन तक हो सकेगा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए बलात्कारियों को मृत्युदंड तक की सजा हो सकेगी।

सामूहिक बलात्कार में शामिल सभी अपराधियों को कठोर कारावास में कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। 376 क के अलावा ख, ग भी नई धाराएं जोड़ी गई हैं।

जैविक पदार्थों के प्रति बढ़ रही है जागरूकता

राजस्थान में जहां 86 फीसदी उपभोक्ता जैविक पदार्थों के उपभोग के प्रति जागरूक हैं। वहीं 91 फीसदी किसान रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से वाकिफ हैं। बावजूद इसके सिर्फ 19 फीसदी किसान ही प्रदेश में जैविक खेती कर रहे हैं।

'कट्स' द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में चलाई जा रही प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के तहत किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है। सर्वेक्षण में 10 जिलों से 192 ग्राम पंचायतों के 2439 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 644 किसान व 1795 उपभोक्ता शामिल थे।

प्रो-ओर्गेनिक (द्वितीय) परियोजना के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में यह जानकारी दी गई। सर्वे के मुताबिक 89 प्रतिशत उपभोक्ता यह जानते हैं कि जैविक पदार्थ रासायनिक खेती वाले पदार्थों से बेहतर होते हैं, वहीं 51 प्रतिशत उपभोक्ता जैविक पदार्थों को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार रहे।

कार्यक्रम में नीलकमल दरबारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भावी पीढ़ियों के हित में जैविक खेती की ओर फिर से लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'कट्स' के सर्वे से यह बात सामने आई है कि 67 फीसदी किसानों को सरकारी अनुदान नहीं मिल पाता, इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। परिचर्चा में 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी।

ई-कॉमर्स पर नियामक होना जरूरी

50 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता ऑनलाइन खरीददारी करते समय परेशानी महसूस करते हैं। इसकी मुख्य वजह इंटरनेट का धीमा होना और भुगतान का पूरा नहीं हो पाना है। यही नहीं 56 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन से खरीदे गए सामान की गुणवत्ता में भी कमी पाई। इन समस्याओं के निदान के लिए ऑनलाइन खरीददारी पर एक रेगुलेटर (नियामक) होना आवश्यक है। यह कहना है 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता का। 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर 'कट्स' द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार भी ई-कॉमर्स पॉलिसी पर काम कर रही है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता है। एक निष्पक्ष और सक्षम रेगुलेटर ही आम जनता के हित में काम कर सकता है। उन्हें अपने डेटा की सुरक्षा के प्रति ज्यादा सजग रहना होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने उपभोक्ता अधिकार दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खरीददारी करने व सेवाएं लेने में सावधानी बरतनी चाहिए।

गांवों में लगेंगे सरकारी हैंडपम्प

गांवों में पेयजल के लिए अब निजी भूमि पर भी सरकारी हैंडपम्प और ट्यूबवैल लगाए जा सकेंगे। पहले निजी भूमि पर ऐसा सार्वजनिक कार्य नहीं कराया जा सकता था। अब प्रदेश की 9891 ग्राम पंचायतों में निजी भूमि पर सार्वजनिक कार्य कराने का रास्ता खुल गया है। पहले निजी भूमि पर सार्वजनिक कार्य नहीं कराया जा सकता था। ग्रामीण इसे रूठे सरपंचों को मनाने का सरकारी प्रयास मान रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में आम लोगों की बजाय व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचता है। हालांकि सरकार ने इसके क्रियान्वयन में कई शर्तें जोड़ी है।

अब शिकायत करना भी हुआ मंहगा

अब पंचायतीराज विभाग में अफसरों व नेताओं की शिकायत दर्ज करवाना 5 गुना तक महंगा हो गया है। शिकायत दर्ज कराने वाले परिवादी को अब दस के बजाय 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख, ग्राम सेवक,बीडीओ या सीडीओ के खिलाफ जांच शुरू की जा सकेगी। मानना है कि इससे झूठी शिकायतों पर रोक लगेगी।

पंचायतीराज विभाग ने बढ़ाई गई राशि के बारे में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर परिवादी का शपथ पत्र नहीं आता, उस परिवाद पर विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी।

भारत में बढ़ती जा रही है गरीबी

गैर सरकारी संगठन ऑक्सफेम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में गरीब और गरीब हो रहे हैं। यहां असमानता बीते तीन दशकों में बढ़ रही है।

रिपोर्ट में इन हालात के लिए सरकारों की असंतुलित नीतियों को जिम्मेदार बताया गया और कहा गया है कि भारत में धनाढ्यों ने देश में सृजित संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा 'सांठ-गांठ वाले पूंजीवाद' या 'बपौती' में हासिल किया है। वही नीचे के तबके की आय में हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है।

ऑक्सफेम इंडिया की सीईओ निशा अग्रवाल ने कहा है कि असमानताएं उदारीकरण सुधार पैकेजों के बाद अपनाई नीतियों का परिणाम है।

कृषि में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी

केन्द्र सरकार ने कृषि संबंधी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास संबंधित गतिविधियों के आवंटन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित किया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को जमीन, तकनीक और पूंजी तक की पहुंच देने की व्यवस्था की गई है।

इससे देश में खेती-किसानी, उद्यमों और श्रम क्षेत्रों में महिलाओं कि हिस्सेदारी बढ़ी है। कृषि उत्पादन, फसल कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को जरूरी माना गया है। कृषि में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए सरकार ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है।

लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार

प्रदेश में पांच साल से कम आयु के 39.1 फीसदी बच्चे अविकसित हैं। शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 33 फीसदी का है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 40.8 फीसदी तक है। कुपोषण की यह सच्चाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 में सामने आई है।

कम वजन व अविकसित होने से बच्चों में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। इससे न केवल बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि नवजात बच्चों की मौत भी हो रही है। छोटे बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण खान-पान की कमी के साथ स्वच्छता का नहीं होना भी है। गांवों में अभी भी परिवारों में स्वच्छता रखने की आदत नहीं हैं।

किसानों के लिए कुसुम योजना

किसानों की आय दोगुना करने के मकसद से उन्हें सौर पम्प उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी कुसुम योजना की रूपरेखा तैयार हो गई है। ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने बताया कि जल्द ही इसे मंत्रीमंडल के समक्ष रखा जाएगा। बजट घोषणा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में 17 लाख 50 हजार सौर पम्प लगाने की योजना है।

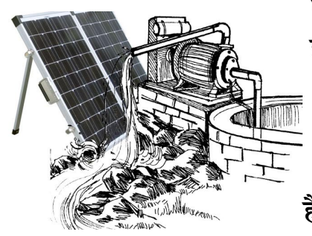

केन्द्र सरकार ने इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जबकि शेष 28 हजार 250 करोड़ रुपए की राशि राज्यों द्वारा ऋण के माध्यम से या स्वयं किसानों द्वारा दी जानी है। पहले चरण में में साढ़े सात लाख सौर पम्पों के वितरण की योजना है।

सभी किसानों का होगा कर्जा माफ

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के अब सभी श्रेणी के किसानों के सहकारी बैंकों से लिए गए 50 हजार रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए हैं। पहले मूल बजट में लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के कर्जे ही माफ करने की घोषणा की गई थी। सभी किसानों के 50 हजार के कर्ज माफ करने की इस घोषणा से करीब ढाई से तीन लाख और किसानों को फायदा मिलेगा।

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया ऋण माफी योजना का लाभ 30 सितंबर 2017 तक ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा। जिन किसानों ने इसके बाद ऋण जमा करा दिया हो, तो भी उन्हें ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने देश को दी दो बड़ी सौगातें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व महिला दिवस पर प्रदेश के झुंझुनूं जिले में दो बड़े अभियानों का शुभारंभ किया। पहला बेटी को आन-बान और शान बताते हुए उन्होंने देश के 640 जिलों के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की।

दूसरा देश के 325 जिलों में नौ हजार करोड़ रुपए के राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि मिशन के पहले चरण में करीब दस करोड़ महिला और बच्चों को इससे जोड़ा गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बेटी हमारी अमानत हैं, वह सशक्त होगी तो राष्ट्र और प्रदेश सशक्त होगा। प्रदेश में दोनों अभियानों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

डिजिटल बाजार व्यवस्था पर गोष्ठी

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जिला रसद कार्यालय और 'कट्स' मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 'स्वस्थ एवं न्यायोचित डिजिटल बाजार व्यवस्था सुनिश्चित हो' विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में नगर विकासन्यास के सचिव सी.डी चारण ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक होकर डिजिटल सेवाओं से जुड़ना होगा।

'कट्स' के समन्वयक गौहर महमूद ने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला तथा एफएलसी कोर्डिनेटर अरविन्द पुरोहित ने ई-वाणिज्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अग्रणी जिला प्रबन्धक संजय भारद्वाज ने बताया कि खरीदारी करते समय गुणवत्ता-युक्त वस्तुओं और सेवाओं का चयन करना चाहिए।

नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक सचिन बाडेटिया ने कहा कि किसी को भी अपने बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर, एटीएम पासवर्ड आदि बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। इस अवसर पर हमारा हक, हमारा अधिकार नामक कलेण्डर का भी विमोचन किया गया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर